SCR/580
3/7/2020

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सर छोटूराम इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नालोजी

पत्रांक एससीआर / / 2020
दिनांक 29.07.2020

कार्यालय आदेश

विषयः 1. वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अन्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अपडेट करने के सम्बन्ध में, 2. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की वेबसाइट **scholarship.up.nic.in** के स्थान पर **scholarship.up.gov.in** का उपयोग किये जाने के सम्बनध में। (संलग्न)

समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं छात्र–छात्राऐं उपरोक्त विषयक का संज्ञान लें जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

समस्त से अनुरोध है कि दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिये आप सभी अपने–अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

31-7-2020
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः–

1. प्रशासनिक अधिकारी / सहायक प्रशासनिक अधिकारी
2. प्रभारी टी0सी0पी0–समस्त छात्रों को ईमेल से सूचना प्रेषण हेतु।
3. प्रभारी वैबसाइट SCRIET, वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ई–मेल द्वारा/अतिआवश्यक

कार्यालयः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः 71 पि0व0क0/द0छा0/2020–21 दिनांकः 20 जुलाई, 2020

निदेशक/संचालक/प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
समस्त शिक्षण संस्थान, जनपद– मेरठ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सं0 507/पि0व0क0/2020–21, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्रों का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंक व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन कराया जायेगा। उक्त डाटा का (UIDAI) से मिलान होने के पश्चात् छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से आनलाइन फाइनल सबमिट हो सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं, जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकाता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना आवश्यक है, ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है, तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से समयान्तर्गत शुद्ध करा लिया जाये के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से आधार बेस्ट भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ की जानी है, इस हेतु आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते मे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित की जानी प्रस्तावित है। इसलिए छात्र/छात्राओं द्वारा भरे आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात् आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र मे भरने के उपरान्त छात्र द्वारा आवेदन पत्र आनलाइन सबमिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रो के स्तर पर निम्न कार्यवाही समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा:–

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों मे खुले बैंक खातो से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अपना नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने से सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए उक्त कार्यो का समयान्तर्गत कियान्वयन सुनिश्चित करें।

(महेश कुमार कण्डवाल)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. कुल सचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)

अति आवश्यक

पत्रांक: DSW/PB/ 1933
दिनांक: 21.07.2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय— छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की वेबसाइट scholarship.up.nic.in के स्थान पर scholarship.up.gov.in का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या सी-393 / स0क0 / शिक्षा–अ / 3 / 2020–21 दिनांक 20 जुलाई 2020 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की वेबसाइट scholarship.up.nic.in के स्थान पर scholarship.up.gov.in [illegible]

अतः आपसे निवेदन है कि आपके विभाग में अध्ययनरत सभी विद्यार्थीयों को उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें एवं अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराने का कष्ट करें जिससे छात्रों में प्रचार प्रसार हो सके।

भवदीय,

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :—

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ
3. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी / कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता
(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)

अति आवश्यक

पत्रांक DSW/PB 1935
दिनांक 28.07.2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक समन्वयक
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर
मेरठ

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सं0 507/पि0व0क0/2020-21 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2020 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं आधार नम्बर के प्रविष्टि किया जाने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्रों का आधार नम्बर छात्र का नाम पिता/पति का नाम, लिंक व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन कराया जायेगा। उक्त डाटा का (UIDAI) से मिलान होने के पश्चात् छात्र के आवेदन पत्र छात्र स्तर से आनलाइन फाइनल सबमिट हो सकेगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकता है जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों का जागरूक किया जाना आवश्यक है, ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है, तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से समयान्तर्गत शुद्ध करा लिया जाय के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ की जानी है, इस हेतु आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र, छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित की जानी प्रस्तावित है। इसलिए छात्र/छात्राओं द्वारा भरे आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंक व जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा:

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक सं0 74/पि0व0क0/स0छा0/2020-21 के द्वारा निर्देशित किया जा गया है कि अपने संस्थान/शिक्षण परिसर में छात्र, छात्राओं को अवगत कराना। अतः आपसे निवेदन है कि आपके विभाग में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को उक्त के सम्बंध में अवगत कराने का कष्ट करें एवं अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराने एवं ई-मेल के माध्यम से छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे छात्रों में प्रचार प्रसार हो सके।

भवदीय,

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति को प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी/कुलसचिव, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

छात्र कल्याण अधिष्ठाता